संख्या—9 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०-11 / लाइ०-
न्यूज पेपर / 91 / 05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23 जनवरी, 2007
माघ 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग—12

संख्या 155/15-12-2007-1604(51)-2005
लखनऊ, 23 जनवरी, 2007

सा०प०नि०—5

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2007 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13—(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवटन पर–	13—(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवटन पर–
(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर अधिसूचित करेगा ;	(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर अधिसूचित करेगा ;

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) चयन किये गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतंत्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबंधतंत्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट "ब" में दिये गये निर्देश में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय जिसमें उससे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबंधतंत्र द्वारा उसे दी जाय, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाय और उसे यह भी सूचित किया जाय कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ;	(दो) चयन किये गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतंत्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबंधतंत्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट "ब" में दिये गये निर्देश में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय जिसमें उससे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबंधतंत्र द्वारा उसे दी जाय, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाय और उसे यह भी सूचित किया जाय कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ;
(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निदेश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबंधतंत्र से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने की दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसके अनुमति प्रबंधतंत्र द्वारा उसे दी जाय, प्रबंधक को अपनी उपस्थिति सूचित करे।	(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबंधतंत्र से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने की दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जिसके अनुमति प्रबंधतंत्र द्वारा उसे दी जाय, प्रबंधक को अपनी उपस्थिति सूचित करे।
(2) प्रबंधतंत्र उपनियम (1) के अधीन दिये गये आदेशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से आयोग को देगा।	(2) प्रबंधतंत्र उपनियम (1) के अधीन दिये गये आदेशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से आयोग को देगा।
(3) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमन्य समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त देय, पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहाँ ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक प्रबंधतंत्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम जो पैनल से योग्यता क्रम में उसके बाद हो, भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त निदेशक और आयोग को देगा और उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(3) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमन्य समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा प्रबंधतंत्र इस निमित्त देय, पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहाँ ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक प्रबंधतंत्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल से योग्यता क्रम में उसके बाद हो, भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त निदेशक और आयोग को देगा और उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) संयुक्त निदेशक अनुश्रवण (मानीटर) करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करे और इस प्रयोजन के लिए वह निरीक्षक को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जैसा उचित समझे।	(4) संयुक्त निदेशक अनुश्रवण (मानीटर) करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करें और इस प्रयोजन के लिए वह निरीक्षक को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जैसा उचित समझे। (5) जहाँ बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध, बोर्ड को संस्तुति करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने पर बोर्ड अधिसूचित रिक्ति के विरुद्ध ऐसे अभ्यर्थी को, कोई दूसरी संस्था आवंटित करेगा।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 155/XV-12-2007 1604(51)-2005, dated January 23, 2007:

No. 155/XV-12-2007-1604(51)-2005
Dated Lucknow, January 23, 2007

IN exercise of the powers conferred by section 35 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commissions and Selection Board Act, 1982 (U.P. Act no. 5 of 1982) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Rules, 1998.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (SECOND AMENDMENT) RULES, 2007

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 13

2. In the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board Rules, 1998, *for* rule 13 set out in column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 *Existing Rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
13. (1) The Inspector shall within 10 days of the receipt of the panel and the allocation of institution under Rule 12,–	13-(1) The Inspector shall within 10 days of the receipt of the panel an the allocation of institution under Rule 12,–
(i) notify it on the notice board of his office;	(i) notify it on the notice board of his office;
(ii) intimate the name of selected candidate to the Management of the institution which has notified the vacancy, with the direction that, on authorisation under resolution of the management, an order of appointment, in the proforma given in Appendix "E" be issued to the candidate by registered post within 15 days of the receipt of the order or within such extended time, as may be allowed to him by the management, and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment will be liable to be cancelled;	(ii) intimate the name of selected candidate to the Management of the institution which has notified the vacancy, with the direction that, on authorisation under resolution of the management, an order of appointment, in the proforma given in Appendix "E" be issued to the candidate by registered post within 15 days of the receipt of the order or within such extended time, as may be allowed to him by the management, and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment will be liable to be cancelled;
(iii) send an intimation to the candidate, referred to in clause (ii), with the direction to report to the Manager within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the Manager or within such extended time as may be allowed to him, by the Management.	(iii) send an intimation to the candidate, referred to in clause (ii), with the direction to report to the Manager within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the Manager or within such extended time as may be allowed to him, by the Management.
(2) The Management shall comply with the directions, given under sub-rule (1) and report compliance thereof to the Board through the Inspector.	(2) The Management shall comply with the directions, given under sub-rule (1) and report compliance thereof to the Board through the Inspector.
(3) Where the candidate, referred to in sub-rule (1) fails to join the post within the time allowed in the letter of appointment or within such extended time as the Management may allow in this behalf or where such candidate is otherwise not available for appointment, the Inspector may, on the request of the Management, intimate fresh name or names standing next in order of merit on the panel, under intimation to the Joint Director and the Board, and the provision of sub-rule (1) and (2) shall *Mutatis mutandis* apply.	(3) Where the candidate, referred to in sub-rule (1) fails to join the post within the time allowed in the letter of appointment or within such extended time as the Management may allow in this behalf or where such candidate is otherwise not available for appointment, the Inspector may, on the [illegible] Management, [illegible] names standing next in order of merit on the panel, under intimation to the Joint Director and the Board, and the provision of sub-rule (1) and (2) shall *Mutatis mutandis* apply.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
(4) The Joint Director shall monitor and ensure that the candidates selected by the Board join the institution in the specified time and for is purpose, he may issue such direction to the Inspector he thinks proper.	(4) The Joint Director shall monitor and ensure that the candidates selected by the Board join the institution in the specified time and for is purpose, he may issue such direction to the Inspector he thinks proper.
	(5) Where a candidate selected by the Board could not join in an allocated institution due to non availability of vacancy or for any other reason, the District Inspector of School shall recommend to the Board for the adjustment of such candidate against any other vacancy notified to the Board in any other institution. On receipt of the recommendation of the District Inspector of School the Board shall allocate such candidate to another institution in a vacancy notified to the Board.

By order,
RAJIV KUMAR,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3377 राजपत्र हिन्दी–(7134)–2007–597+250=847–(कम्प्यूटर / आफसेट)।